बजट एवं वित्तीय घाटा

केंद्रीय बजट में 2008 तक बजट घाटे को तीन फीसदी लाने का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है. मौजूदा सरकार ने सत्ता संभालने के समय इसके लिए 2018 की सीमा तय की थी. अंतरिम बजट में प्रभारी मंत्री पीयूष गोयल ने 2019 और 2020 के वित्त वर्षों में यह घाटा 3.4 फीसदी तक रहने का अनुमान व्यक्त किया है. आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का मानना है कि 2019-20 में यह 3.3 फीसदी भी रह सकता है. सरकार 2020-21 में इसे तीन फीसदी तक लाने को लेकर भी आश्वस्त है. लेकिन, अनेक जानकारों और वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखनेवाली संस्थाओं का मानना है कि यह मुश्किल है. सरकार को मिलनेवाले राजस्व और उसके खर्च के अंतर को बजट या वित्तीय घाटा कहा जाता है. इससे यह अनुमान भी मिलता है कि सरकार को कितना कर्ज लेने की जरूरत है. इस संदर्भ में दो तथ्य चिंताजनक हैं. महालेखा परीक्षक की एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्तीय घाटे को कम दिखाने के लिए सरकार ने बजट प्रस्तावों से बाहर जाकर कर्ज उठाया है. सरकार पर भारतीय खाद्य निगम का ही एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बकाया है. सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उधार लेने की जरूरत का आकलन सकल घरेलू उत्पादन के आठ फीसदी से भी ज्यादा है. वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन कानून, 2003 के तहत कुल कर्ज और कुल घरेलू उत्पादन के अनुपात को 2024-25 तक 40 फीसदी तक लाना है. वर्ष 2017-18 में यह 50.1 फीसदी था. पिछले बजट में इस आंकड़े को 2018-19 में 48.8 फीसदी, 2019-20 में 46.7 फीसदी और 2020-21 में 44.6 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया था. इन वर्षों में बजट घाटे को क्रमशः 3.3, 3.1 और तीन फीसदी तक लाने का इरादा जताया गया था. निश्चित रूप से वित्तीय अनुशासन एवं पूंजी निर्माण पर जोर देकर ही इन लक्ष्यों को पाया जा सकता है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जानकार जिन कल्याणकारी योजनाओं को लोकलुभावन या चुनावी राजनीति से प्रेरित कहते हैं, वे देश की बहुत बड़ी आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर उसे विकास की राह पर लाने के लिए बहुत जरूरी हैं. मनरेगा के लिए आवंटन में बढ़ोतरी, छोटे किसानों को छह हजार रुपये सालाना की सहायता तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना जैसी पहलों को महज खर्च के रूप में देखना ठीक नहीं है. ये करोड़ों वंचितों को आत्मविश्वास देने और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस निवेश के प्रयास हैं. विशेषज्ञों की यह आशंका सही हो सकती है कि बजट में उल्लिखित राजस्व वसूली के लक्ष्य पूरे नहीं होंगे. इससे मुद्रास्फीति और घाटे में वृद्धि हो सकती है. पर अभी मुद्रास्फीति बीते सालों की तुलना में कम है और उसमें मामूली बढ़त से अर्थव्यवस्था पर बहुत असर नहीं होगा. इसके बरक्स निम्न आयवर्गीय आबादी के हाथ में नगदी और बचत से मांग बढ़ेगी, जो कि उत्पादन और बाजार के लिए राहत की बात है.

वित्तीय अनुशासन एवं पूंजी निर्माण पर जोर देकर ही वित्तीय घाटे को कम किया जा सकता है, लेकिन देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी जरूरी हैं.

बंगाल की खाड़ी से बवंडर

मृणाल पांडे
ग्रुप सीनियर एडिटोरियल एडवाइजर, नेशनल हेराल्ड
mrinal.pande@gmail.com

मूल मंशा चाहे जो रही हो, केंद्र से आये सीबीआई के जत्थे का यकायक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के घर पर नाटकीय धावा बोल देना बंगाल की खाड़ी से उठा एक बीहड़ बवंडर दिख रहा है. इसने देखते-देखते सारे देश को गिरफ्त में लेकर समूचे विपक्ष को ममता के पक्ष और केंद्र के खिलाफ लामबंद कर दिया है. यदि पता होता कि पांच साल पुराने मामले की जांच की बासी कढ़ी में यकायक उबाल लाकर सीबीआई मुखिया नागेश्वर राव अपने कार्यकाल के आखिरी दिन जाते-जाते ऐसी विपक्षी एकजुटता का सूत्रपात करते जायेंगे, तो देश का एक बड़ा वर्ग नियुक्ति के क्षणों से विवादित रहे अल्पकालिक सीबीआई प्रमुख राव के चरण पखार कर चरणोदक पान कर लेता.

यह सही है कि सीबीआई 2014 के तुरंत बाद से बंगाल में हुए चिटफंड घोटाले की पड़ताल कर रही थी. लेकिन, एक संघीय गणतंत्र में किसी भी राज्य के खिलाफ केंद्र द्वारा कोई संगीन कार्रवाई करने के भी कुछ नियम-कानून होते हैं. आम चुनाव से कुछ महीने पहले यकायक बिना बंगाल के उच्च न्यायालय को सूचित किये, बिना वारंट या पूर्व सूचना के पुलिस प्रमुख के घर की घेरेबंदी की ऐसी क्या हड़बड़ी थी? और क्या वजह थी कि इन चार सालों के बीच बिना कारण बताये तृणमूल तज कर भाजपा के चरण गह चुके इसी घोटाले के दो कथित दोषियों को चुपचाप सीबीआई की फेहरिस्त से हटा दिया गया? अगर गत चार सालों में राज्य के पुलिस प्रमुख के दो बार बुलावे पर नहीं गये थी, तो अब क्या वजह थी कि संस्था का धीरज इस तरह टूट गया कि सीधे उनकी मुश्कें बंधवाकर दिल्ली लाने की ठान ली गयी? ममता बनर्जी ने इन तमाम चूकों की अनदेखी नहीं की और सीधे राज्य पुलिस बुलाकर सीबीआई के दस्ते को (कुछ देर को ही सही) राज्य पुलिस की गाड़ियों से थाने भेज खुद पुलिस प्रमुख के घर के बाहर धरने पर बैठ गयीं. सतत उत्तेजित मीडिया को मानो दौरा पड़ गया और बजटीय विश्लेषणों या प्रधानमंत्री के डल झील पर नौका-विहार या लद्दाखी टोपी पहने उनकी नयनाभिराम छवियों को परे करके पलक झपकते ममता दीदी हर चैनल पर छा गयीं. सोशल मीडिया की ताकत से वाकिफ दीदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर इस छापे के मुख्य लक्ष्य कोलकाता के पुलिस कमिश्नर की प्रशंसा करते हुए तत्काल यह भी दर्ज किया कि यह छापा बंगाली स्वायत्तता के खिलाफ भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा लिया जा रहा निकृष्टतम राजनीतिक प्रतिशोध है. केंद्र जो अपने अधीन पुलिस बलों की मदद से बंगाल की अस्मिता और उसके लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वायत्तता को बरबाद करने पर आमादा है, उसके खिलाफ उनका यह धरना एक स्वतंत्रता आंदोलन है! दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तुरंत ममता से सहानुभूति जताते हुए उनके साथ खड़े रहने का इरादा भी व्यक्त कर दिया. फिर तो झड़ी लग गयी और समूचा विपक्ष ममता के साथ होने की घोषणा करने लगा.

अब जब बात तूल पकड़ चुकी है, तब विद्वान लोग पोथे बांच रहे हैं कि केंद्र द्वारा राज्यों के शासन में सीधे हस्तक्षेप के अधिकार कितने और किस तरह के हैं? सीबीआई के बेचारे नवनिर्वाचित मुखिया को अभी इस हड़बोंग के बीच पदभार संभालना है, जबकि कोलकाता की गलियों में तृणमूल और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने की आशंका बढ़ रही है. यह सारा तनाव किसी बारीक वैधानिक मतभेद का नतीजा नहीं है. यह इसलिए इस वीभत्स रूप में आन खड़ा हुआ है कि पिछले साढ़े चार सालों में केंद्र ने साम-दाम-दंड-भेद से तमाम तरह के भेदभाव गहराते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक विपक्ष शासित राज्यों को एक ऐसी अंधी गली में ला खड़ा किया है, जहां उनको केंद्र सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है. विपक्षियों को आशंका है कि उनके खिलाफ केंद्र की बदला लेने की प्रवृत्ति हाल में पांच राज्यों के भाजपा के हाथों से फिसलने से जिस तरह घनीभूत होती जा रही है, उसमें अक्सर हिंसा की कोई छोटी चिंगारी भी देश में आग लगा सकती है.

साल 1905 के बंग-भंग प्रस्ताव की ही तरह ममता इस कदम को समूचे बंगाल की अस्मिता का अपमान मनवा चुकी हैं, इसलिये वहां एनडीए की गिरी हुई इज्जत की त्वरित बहाली नामुमकिन है. बंगाल में अभी अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो भी गया, तो भी इसकी संभावना नहीं कि मोदीजी बंगेश्वर बन सकेंगे. बंगाली समाज बंग-भंग आंदोलन के दिनों से ही उत्कट रूप धरता आया है. अगर वह फिर सतह पर आया, तो उसको राज्यपाल किस हद तक थाम पायेंगे, कहना कठिन है.

बहरहाल, प्रचार युद्ध का पहला राउंड ममता जीत गयी हैं और दमन, जुल्म और संविधान की कब्र खोदने के जो बेबाक आरोप उन्होंने सीधे केंद्र सरकार के मुखिया तथा उनकी सलाहकार टोली पर लगा दिये हैं, उन्होंने दीदी की चिरविद्रोहिणी बंगहृदयहारिणी छवि उभारने में भारी मदद पहुंचायी है. खबर आयी कि सुप्रीम कोर्ट तक हांफती-कांपती भागती गयी सीबीआई की ममता दीदी के खिलाफ अदालती अपमान की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार की बजाय मंगलवार की सुबह ही विचार करेगा. उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने उनके साथ एकजुटता प्रदर्शन के लिए अपना प्रतिनिधि भेजा है. अचरज नहीं कि कतिपय और दल भी अपने-अपने प्रतिनिधि इस नये बंग आंदोलन के पक्ष में भेज दें.

इस घटनाक्रम से साफ होता जा रहा है कि संविधान भले पुकार-पुकार कर अखिल भारतीय दलों की मांग करता हो, दमदार भारतीय पार्टियां प्रांतीय बनती चली गयी हैं. कहीं अकाली, कहीं तृणमूल, कहीं बीजद, कहीं द्रमुक या तेदेपा. यह जरूरी भी है. भारत का लोकतंत्र बुनियादी तौर से बदलने की पहली शर्त यही है कि भाजपा या कांग्रेस के अलावा कुछ ताकतवर प्रांतीय दल भी इस देश की जनता के दमदार स्थानीय प्रतिनिधि बनकर उभरें.

भाजपा के कुछ नादान प्रवक्ता इतना उछल रहे हैं, मानो दीदी को और उनके पुलिस प्रमुख सहित कई विधायकों को वे जेल भिजवा कर ही दम लेंगे. संघीय लोकतंत्र एक फटे हुए फुटबॉल की तरह मैदान में लथेड़ा जाते देखकर भी वे प्रसन्न हैं. जाहिर है, उनको लोकतंत्र के महत्वपूर्ण चुनावी खेल के जिंदा रहने की अब कोई फिक्र नहीं है. यह खेल उनके लिए और केंद्रीय नेतृत्व तथा हिंदुत्व की कई उन्मादी एवं रक्तपिपासु टोलियों के लिए मानो एक युद्ध बन चुका है और युद्ध के कोई नियम नहीं होते. हो सकता है कि उनकी विचारधारा जीत जाये, लेकिन भगवान के लिए वे गणतंत्र की कविता को वैदिक स्वरों में गाना तो छोड़ ही दें.

भारत का लोकतंत्र बुनियादी तौर से बदलने की पहली शर्त यही है कि भाजपा या कांग्रेस के अलावा कुछ ताकतवर प्रांतीय दल भी इस देश की जनता के दमदार स्थानीय प्रतिनिधि बनकर उभरें.

बोधि वृक्ष

कर्तव्य

जीवन के विभिन्न कर्तव्यों के प्रति मनुष्य का जो मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण रहता है, वह अनेक अंशों में उसके जन्म और उसकी अवस्था द्वारा नियमित होता है. इसीलिए जिस समाज में हमारा जन्म हुआ हो, उसको आदर्शों और व्यवहार के अनुरूप उदात्त एवं उन्नत बनानेवाले कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है. प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है, उसका विरोध करना व्यर्थ है. यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे, तो उसी कारण वह छोटा नहीं कहा जा सकता. कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं है, देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है. अपनी सामाजिक अवस्था के अनुरूप एवं हृदय तथा मन को उन्नत बनानेवाले कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है. कर्तव्य-चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है, जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, अन्यथा वह एक अविराम घर्षण मात्र है. यदि ऐसा न हो तो माता-पिता अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता-पिता के प्रति, पति अपनी पत्नी के प्रति तथा पत्नी अपने पति के प्रति अपना-अपना कर्तव्य कैसे निभा सकें? कर्तव्य वहीं तक अच्छा है, जहां तक कि यह पशुत्व भाव को रोकने में सहायता प्रदान करता है. उन निम्नतम श्रेणी के मनुष्यों के लिए, जो और किसी उच्चतर आदर्श की कल्पना ही नहीं कर सकते, शायद कर्तव्य की यह भावना किसी हद तक अच्छी हो, परंतु जो कर्मयोगी बनना चाहते हैं, उन्हें तो कर्तव्य के इस भाव को एकदम त्याग देना चाहिए. कर्तव्य एक शरीर है और हमारी आसक्ति का आवेग मात्र है. जब कोई आसक्ति दृढ़ हो जाती है, तो उसे हम कर्तव्य कहने लगते हैं. जहां विवाह की प्रथा नहीं है, उन सब देशों में पति-पत्नी का आपस में कोई कर्तव्य नहीं होता. जब विवाह-प्रथा आ जाती है, तब पति-पत्नी आसक्ति के कारण साथ रहने लगते हैं. कई पीढ़ियों के बाद जब उनका यह एकत्रवास एक प्रथा-सा हो जाता है, तो वह कर्तव्य रूप में परिणत हो जाता है.

स्वामी विवेकानंद

बुनियादी आय गारंटी योजना

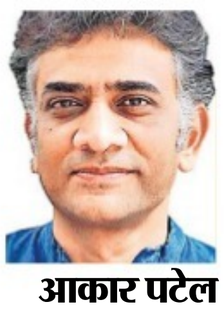

आकार पटेल
कार्यकारी निदेशक, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया
aakar.patel@gmail.com

छोटे किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये नकद देने की योजना की सरकारी घोषणा एक शानदार कदम माना जा रहा है, जिससे चुनाव में राजनीतिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है. बजट में घोषित इस योजना के पहले दो बातें हुई हैं. पहली वह रिपोर्ट, जिसे सरकार ने दबा दिया है, जो कहती है कि बेराजगारी दर 45 वर्षों में सर्वाधिक है. दूसरी यह कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी न्यूनतम आय गारंटी की बात कर रहे हैं. भारत में किसानों के लिए ऐसी योजना पहले से ही मौजूद है. तेलंगाना में किसानों को प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर आठ हजार रुपये दिया जाता है. मोदी सरकार की योजना उन किसानों के लिए है, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम खेत (करीब पांच एकड़) है. ऐसे किसान को तेलंगाना में पहले से ही 40 हजार रुपये मिल रहा है. ओडिशा में सभी किसानों को पांच हजार रुपये नकद मिलता है. इसके अतिरिक्त, छोटे किसानों को बुवाई के पांच मौसमों में सहायता के लिए 25 हजार और प्रति भूमिहीन परिवार को तीन चरणों में 12,500 रुपये मिलता है. इन दोनों ही योजनाओं के आलोचक हैं, जो कहते हैं कि पहचान की मुश्किलों के कारण इसे लागू करना कठिन होगा (कोई यह कैसे निर्धारित करेगा कि कौन भूमिहीन हैं और कौन छोटे किसान हैं?) और जाहिर है कि संसाधनों की कमी है.

ऐसा लगता है कि यह ऐसी बात है, जिसका अनुकरण हर राज्य सरकार करने जा रही है, विशेषकर तब जब केंद्र सरकार भी ऐसा कर रही है और इसे राजनीतिक रूप से बहुत लाभकारी माना जा रहा है. यह विचार कि राज्य द्वारा सीधे नकद हस्तानांतरण के बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, भारत तक ही सीमित नहीं है और इस विचार की उत्पत्ति विदेश में ही हुई है. ब्रिटेन में बेरोजगार दंपति को सरकार से प्रति सप्ताह 114 पाउंड (42 हजार रुपये प्रतिमाह) मिलता है. जिन परिवारों के पास मकान नहीं है या जो खराब हालत में रह रहे हैं, उन्हें अत्यधिक छूट वाले काउंसिल घरों में सरकारी आवास दिया जाता है. अमेरिका में भी बेरोजगारी लाभ और खाद्य टिकटों की पेशकश की जाती है. जून, 2016 में स्विट्जरलैंड में सभी के लिए बुनियादी आय गारंटी शुरू करने के प्रस्ताव, जैसा राहुल गांधी प्रस्ताव दे रहे हैं, को मतदाताओं ने अस्वीकार कर दिया था. जनमत संग्रह में स्विट्जरलैंड के 77 प्रतिशत नागरिकों ने ऐसी योजना के खिलाफ मतदान किया, जो प्रत्येक व्यक्ति को बिना शर्त मासिक आय प्रदान करती, चाहे उनके पास नौकरी थी या आय का कोई अन्य स्रोत. इस प्रस्ताव के समर्थकों ने प्रत्येक वयस्क को प्रतिमाह 2,500 स्विस फ्रैंक (1.8 लाख रुपये प्रतिमाह) और प्रत्येक बच्चे को 625 स्विस फ्रैंक (45 हजार रुपये प्रतिमाह) देने का आह्वान किया था. इस योजना के समर्थकों का यह तर्क था कि ऑटोमेशन के बढ़ने का मतलब यह होगा कि बहुत जल्द पश्चिमी देशों में लोगों के लिए नौकरियां उपलब्ध नहीं होंगी. वहीं विरोधियों का तर्क था कि इस तरह की योजना स्विट्जरलैंड में लाखों प्रवासियों को आकर्षित करेगी. पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि बहुत कम स्विस राजनेता इस प्रस्ताव के समर्थन में थे और कोई संसदीय दल भी इसके पक्ष में नहीं था. यह स्थिति भारत से एकदम अलग है, जहां स्विट्जरलैंड जितना पैसा तो नहीं है, लेकिन सभी दल नकद में पैसा देना चाहते हैं.

कुछ दिनों पहले ही फिनलैंड ने अपने दो वर्ष के परीक्षण, जिसमें 28 से 58 वर्ष की आयु के दो हजार व्यक्तियों को 560 यूरो (45 हजार रुपये प्रतिमाह) दिया जाता था, को बंद कर दिया. स्पेन के शहर बार्सीलोना (यहां बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है) और नीदरलैंड के यूट्रेंच में भी इसी तरह के प्रयोग हो रहे हैं. पूरे विश्व में, भारत से यूरोप तक, सार्वभौमिक बुनियादी आय का विचार अपनी जगह बना रहा है. वामपंथी और उदारवादी मानते हैं कि यह गरीबी और असमानता को खत्म कर सकता है. दक्षिणपंथी मानते हैं कि कल्याण वितरण के लिए यह ज्यादा उपयुक्त और कम नौकरशाही का तरीका है. प्रधानमंत्री मोदी इस वादे के साथ सत्ता में आये थे कि वे मनरेगा जैसी योजनाओं को दफन कर देंगे, जिसे उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार की असफलता का जीवित स्मारक कहा था. लेकिन, इस बजट में मोदी ने मनरेगा का आवंटन लगभग 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है. यह दिखाता है कि मनरेगा को लेकर उनके विचार बदल गये हैं.

सच तो यह है कि दुनियाभर में नौकरियां कम हो रही हैं और यह कमी जारी रहेगी, खासकर वैसी नौकरियां, जैसी लोग चाहते हैं. कई विशेषज्ञ अगले डेढ़ दशक के भीतर अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की भविष्यवाणी कर रहे हैं. इसका मतलब सार्वभौमिक बुनियादी आय पर अधिक से अधिक जोर है. भारत में पश्चिम की तुलना में समस्या कहीं बड़ी है. हम पश्चिम की प्रति व्यक्ति आय से बहुत पीछे हैं (एक औसत स्विस नागरिक एक औसत भारतीय की तुलना में तीस गुना अधिक कमाता है). इसलिए बहुत से लोगों को बहुत अधिक धन देने की आवश्यकता अन्य देशों की तुलना में भारत में जल्द ही पड़ेगी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास एक प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री हैं (वर्तमान की तरह) या विश्व स्तर पर सम्मानित एक उच्च प्रशिक्षित अर्थशास्त्री (जो पहले थे). यह एक संरचनात्मक समस्या है, जिससे हम बच नहीं सकते हैं और आगामी चुनाव में अन्य दल भी इस बारे में बात करेंगे.

पूरे विश्व में, भारत से यूरोप तक, सार्वभौमिक बुनियादी आय का विचार अपनी जगह बना रहा है. वामपंथी और उदारवादी मानते हैं कि यह गरीबी और असमानता को खत्म कर सकता है. दक्षिणपंथी मानते हैं कि कल्याण वितरण के लिए यह ज्यादा उपयुक्त और कम नौकरशाही का तरीका है.

आपके पत्र

संवैधानिक संकट की स्थिति

पश्चिम बंगाल से लेकर ओड़िशा तक फैले करीब 25 सौ करोड़ रुपये के सारधा चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में कोलकाता पुलिस आयुक्त से पूछताछ करने गयी सीबीआइ की टीम को वहां तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा रोका गया, उनके साथ धक्का-मुक्की की गयी और फिर उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले गयी. समूचा घटनाक्रम अपूर्व और निंदनीय है. यह सही है कि कुछ समय पूर्व ही पश्चिम बंगाल ने सीबीआइ को राज्य में ऑपरेट करने की इजाजत देने से संबंधित आम सहमति को वापस ले लिया था, किंतु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सीबीआइ की उक्त जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2014 से ही चल रही है. राज्य सरकारें यदि केंद्रीय जांच एजेंसी के लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दे, तो भविष्य में किसी भी केस की जांच मुश्किल हो जायेगी. ऐसे में संघीय ढांचे के तहत जांच एजेंसी के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के संवैधानिक संकट की स्थिति को उत्पन्न होने से रोका जा सके.

चंदन कुमार, देवघर.

आखिर 'भारत रत्न 'कौन है

इस देश के लिए मर मिटने वाले शहीद त्रयी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से ज्यादा इस देश में किसने त्याग किया? भारत रत्न के लिए उन अमर सपूतों का कभी नाम तक प्रस्तावित नहीं किया जाता. क्यों? शहीद पंडित राम बिस्मिल, अशफाकउल्ला जैसे सपूत इसी देश के हित और यहां के लोगों की स्वतंत्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. उन्हें कोई भारत रत्न नहीं दे रहा. सत्ता के कर्णधार अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए 'भारत रत्न' और अन्य पुरस्कार रेवड़ियां बांट रहे हैं, बांटते रहे हैं. हमारे विचार से भारत रत्न सहित सभी अन्य पुरस्कारों के लिए, सही लोगों के चयन के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी से अलग सभी राजनैतिक दलों, समाजसेवियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, लेखकों, कवियों आदि की एक अलग कमेटी गठित होनी चाहिए. उसी का निर्णय माना जाना चाहिए.

निर्मल कुमार शर्मा ,गाजियाबाद

कोचिंग संस्थानों के फेर में बच्चे

सैकड़ों कोचिंग संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के खुल रहे हैं. इनसे बच्चे और अभिभावक, दोनों परेशान हैं. एक तरफ बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ता जा रहा है. वहीं अभिभावक के पॉकेट ढीले हो रहे हैं. हर संस्थान का टैगलाइन होता है भारत का नंबर-वन इंस्टिट्यूट. मां-बाप तय नहीं कर पाते कि किस पर भरोसा करें? सबको पता है कि करीब-करीब हर शहर में कुकुरमुत्ते की तरह पनप रहे ऐसे संस्थान केवल पैसे कमाने का जरिया हैं. एक ही टॉपर को अलग-अलग संस्थान अपनी ब्रांडिंग का जरिया बताने के लिए अपना छात्र बताते हैं. इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार भी तैयार नहीं है. इन संस्थानों की फीस का भी कोई पैमाना नहीं है. इस पर भी सरकार की नजर नहीं है. जाहिर है, इस मकड़जाल में हमारे बच्चे हर रोज फंस रहे हैं. सरकार को इस पर अविलंब सोचना होगा.

प्रो सदानंद पॉल, नवाबगंज, कटिहार.

कुछ अलग

मोहब्बत में एक खूबसूरत मोड़

नाजमा खान
पत्रकार
nazmakhan786@gmail.com

अच्छा ही हुआ कि सोहनी को महिवाल नहीं मिला और हीर रांझे की ना हो सकी! यह भी ठीक ही हुआ कि रोमियो और जूलिएट एक अधूरे इश्क के किरदार के तौर पर ही प्रेमकथाओं में दर्ज हुए! सोचिये जरा, अगर ये सभी मिल जाते, तो इश्क करनेवाले किसकी मिसाल देते? अगर ये मिल जाते, तो हजारों ख्वाहिशों वाले जहान की तस्वीर कैसी होती? क्या रोमियो 'सेवन ईयर इच' के बाद बदल जाता? और कुछ ऐसा ही हाल हीर का भी होता? क्या फिर हम इन्हें याद करते? क्या अधूरे इश्क की पूरी कहानी ही याद रहती है या फिर प्यार मिल जाने पर यार बदल जाता है?

क्या यह सच है कि हद से ज्यादा प्यार ही प्यार का दुश्मन बन जाता है? इश्क, मोहब्बत, प्यार का भी कोई सेचुरेशन लेवल होता है, जिसके बाद प्यार करनेवालों का एक साथ दम घुटने लगता है? यकीनन मैं गलत हूं, पर यह सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं कि हाल ही में दुनिया के एक बहुत अमीर आदमी जेफ बेजोस के तलाक की खबर आयी. वह आदमी बड़ा है, सो तलाक का सौदा भी बेहद महंगा ही हुआ. लेकिन, खास बात तो यह थी कि दोनों ने 25 साल पहले हुए पहली नजर के प्यार को खत्म करते हुए कुछ शब्दों में ही अपनी जिंदगी बयान कर दी और कहा कि तलाक के बाद हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे. साहिर लुधियानवी ने कहा है कि 'वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे इक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा'. जेफ ने शायद ऐसा ही किया हो!

इस घटना ने मेरे मन में कई सवाल खड़े किये हैं कि जिस प्यार के लिए इंसान दुनिया-जहान से बगावत कर देता है, अपनों को भुला देता है और खुद को भी बिसरा देता है, क्या वह प्यार भी कहीं जाकर दम तोड़ देता है? एक प्यार के जोड़े के लिए ढाई दशक तक साथ रहना कोई छोटा लम्हा नहीं है. इसलिए सवाल उठते हैं.

रिश्तों को बनाने के लिए उन्हें मोहब्बत से बुनना पड़ता है और इस बुनाई में अगर गलती से भी कोई गांठ पड़ गयी, तो वह ताउम्र रह ही जाती है. क्या वाकई इश्क के मारे लोगों की दुनिया में कोई और गम नहीं होता मोहब्बत के सिवा? दुनिया की पहली जोड़ी आदम-हव्वा से शुरू हुई कायनात में रोटी, कपड़ा और मकान क्या मोहब्बत पर हावी रहते हैं या मोहब्बत इन सब पर? आखिर गालिब ने क्यों लिखा- 'मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले.' गालिब ने यह शे'र किसको देखकर लिखा था, यह कहना बहुत मुश्किल है.

कहनेवाले तो यह भी कहते हैं कि प्यार को समझाया नहीं जा सकता, पर लगता है इसे समझा भी नहीं जा सकता. यानी जो समझा वह डूबकर ही पार हुआ, पर नया ट्रेंड तो डूबने की बजाय कूदकर पार करने में ज्यादा यकीन रखनेवाला दिखायी देता है. शरतचंद्र के कालजयी उपन्यास 'देवदास' का देवदास आज पारो के लिए अपनी जिंदगी तबाह नहीं करता, बल्कि कहता है- 'इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता'.

देश दुनिया से

आईएनएफ संधि के खत्म होने के आसार

यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमेरिका अब रूस के साथ इंटरमीडिएट रेंज फोर्सेज (आईएनएफ) संधि से हट जायेगा और हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर होने के लिए 180 दिनों यानी छह महीने की लंबी प्रक्रिया शुरू करेगा. इसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस खुद ही आईएनएफ संधि से हट जायेगा. पुतिन ने यह भी कहा कि अमेरिका इस संधि को खत्म कर नये परमाणु हथियार बनाने की बात कर रहा है, तो इस संबंध में रूस खुद भी शोध करेगा और नये हथियारों का परीक्षण करेगा. गौरतलब है कि पिछले साल ही इस संधि से बाहर होने की धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, जिसके अब सच होने के आसार नजर आ रहे हैं. दरअसल, इस संधि को खत्म करने का अर्थ है वैश्विक हथियार नियंत्रण प्रणाली को खत्म करने की शुरुआत करना. अगर यह संधि खत्म होती है, तो सुरक्षा संबंधी खतरों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा और दुनिया की बड़ी शक्तियां इस बात को फिर से परिभाषित करने की कोशिश करेंगी कि आखिर में सुरक्षा को लेकर खतरा कितना बड़ा है. अंततः इससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में फांस आनी तय है.

GLOBAL TIMES

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है